eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 12, December 2025

कल्याणकारी राज्य की बदलती अवधारणा और भारत में सामाजिक न्याय की राजनीतिः एक समकालीन विश्लेषण

डॉ0 मनोज कुमार वर्मा[1]
[1]असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान महामाया राजकीय महाविद्यालय, श्रावस्ती, उ0प्र0

Received: 26 Dec 2025 Accepted & Reviewed: 28 Dec 2025, Published: 31 December 2025

Abstract

कल्याणकारी राज्य आधुनिक लोकतांत्रिक शासन–व्यवस्था की एक ऐसी अवधारणा है जिसका मूल उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के जीवन स्तर को उन्नत बनाना, सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं को कम करना तथा समान अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् विश्व के अनेक देशों में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को व्यापक स्वीकृति मिली। भारत ने भी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् संविधान में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के आदर्शों के माध्यम से स्वयं को एक लोकतांत्रिक एवं कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। भारतीय संविधान के नीति–निदेशक तत्वों ने राज्य को यह दायित्व सौंपा कि वह नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक कल्याण को सुनिश्चित करे तथा समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों के उत्थान के लिए विशेष उपाय अपनाए। समय के साथ वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी, डिजिटल प्रशासन, आर्थिक सुधार तथा बाजारोन्मुख नीतियों ने कल्याणकारी राज्य की पारंपरिक अवधारणा में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। आज राज्य केवल प्रत्यक्ष सेवा प्रदाता नहीं रह गया है, बल्कि वह नियामक, सहयोगी तथा सहभागी की भूमिका भी निभा रहा है। इसी परिवर्तन के साथ भारत में सामाजिक न्याय की राजनीति भी नए आयामों के साथ विकसित हुई है। सामाजिक न्याय अब केवल आरक्षण या संवैधानिक संरक्षण तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, आर्थिक समावेशन, डिजिटल समावेशन, सामाजिक सुरक्षा, कौशल विकास, वित्तीय समावेशन, पर्यावरणीय न्याय तथा सतत विकास जैसे विषय भी शामिल हो चुके हैं। भारत में सामाजिक न्याय की राजनीति का विकास स्वतंत्रता के पश्चात् अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकारों से प्रारंभ होकर महिलाओं, अल्पसंख्यकों, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा अन्य वंचित समुदायों तक विस्तृत हुआ है। लोकतांत्रिक राजनीति में सामाजिक न्याय एक प्रमुख चुनावी, नीतिगत एवं वैचारिक मुद्दा बन चुका है। विभिन्न राजनीतिक दलों ने इसे अपनी नीतियों एवं घोषणापत्रों का केंद्रीय विषय बनाया है। साथ ही प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, आधार, जन–धन, आयुष्मान भारत, मनरेगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं ने कल्याणकारी राज्य की नई कार्यप्रणाली को आकार दिया है।

यह शोध–पत्र कल्याणकारी राज्य की बदलती अवधारणा का ऐतिहासिक, सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है तथा भारत में सामाजिक न्याय की राजनीति पर उसके प्रभाव का समग्र अध्ययन करता है। अध्ययन में गुणात्मक तथा द्वितीयक स्रोतों पर आधारित विश्लेषणात्मक शोध–पद्धति का उपयोग किया गया है। निष्कर्षतः यह स्पष्ट होता है कि समकालीन भारत में कल्याणकारी राज्य की सफलता केवल योजनाओं के विस्तार पर निर्भर नहीं है, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, समावेशिता तथा न्यायपूर्ण वितरण पर भी समान रूप से निर्भर करती है।

प्रमुख शब्द– कल्याणकारी राज्य, सामाजिक न्याय, भारतीय संविधान, नीति–निदेशक तत्व, लोकतंत्र, सामाजिक समावेशन, आरक्षण, सार्वजनिक नीति, समावेशी विकास, सुशासन।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 12, December 2025

Introduction

आधुनिक लोकतांत्रिक शासन की सफलता का मूल्यांकन केवल आर्थिक विकास दर अथवा सकल घरेलू उत्पाद से नहीं किया जा सकता, बल्कि इस बात से किया जाता है कि राज्य अपने नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता, सामाजिक सुरक्षा, समान अवसर, न्याय तथा गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करने में कितना सफल है। इसी विचारधारा ने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को जन्म दिया। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य केवल कानून–व्यवस्था बनाए रखना नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक के सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक विकास की जिम्मेदारी स्वीकार करना भी है। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्र भारत की शासन–व्यवस्था को इसी आदर्श के अनुरूप विकसित करने का प्रयास किया। संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति–निदेशक तत्व स्पष्ट करते हैं कि भारत का लक्ष्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर आधारित समाज की स्थापना करना है। अनुच्छेद 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46 तथा 47 राज्य को यह निर्देश देते हैं कि वह सामाजिक एवं आर्थिक विषमताओं को कम करे तथा समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण हेतु प्रभावी नीतियाँ अपनाए। स्वतंत्रता के पश्चात् भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं, भूमि सुधार, हरित क्रांति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, शिक्षा एवं स्वास्थ्य कार्यक्रमों, मनरेगा, खाद्य सुरक्षा, वित्तीय समावेशन, डिजिटल कल्याण तथा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को व्यवहार में उतारने का प्रयास किया। किंतु आर्थिक उदारीकरण (1991) के बाद राज्य की भूमिका में उल्लेखनीय परिवर्तन आया। निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ी, सार्वजनिक व्यय के स्वरूप में परिवर्तन हुआ तथा कल्याणकारी कार्यक्रमों को अधिक लक्षित, प्रौद्योगिकी–आधारित एवं परिणामोन्मुख बनाया गया। इसी प्रकार सामाजिक न्याय की राजनीति भी निरंतर विकसित हुई। प्रारंभिक दशकों में इसका केंद्र अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों का उत्थान था, जबकि बाद के वर्षों में अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा लैंगिक एवं क्षेत्रीय असमानताओं को भी इसमें शामिल किया गया। आज सामाजिक न्याय भारतीय लोकतंत्र की नीति–निर्माण प्रक्रिया, चुनावी राजनीति तथा प्रशासनिक सुधारों का अभिन्न अंग बन चुका है। इस संदर्भ में यह अध्ययन कल्याणकारी राज्य की बदलती अवधारणा तथा भारत में सामाजिक न्याय की राजनीति के बीच अंतर्संबंधों का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

1.1 ''अध्ययन की पृष्ठभूमि''– उन्नीसवीं एवं बीसवीं शताब्दी में औद्योगीकरण, पूँजीवाद, श्रमिक आंदोलनों तथा सामाजिक असमानताओं ने राज्य की भूमिका के संबंध में नए विमर्श को जन्म दिया। प्रारंभ में उदारवादी राज्य न्यूनतम हस्तक्षेप का समर्थक था, किंतु आर्थिक संकटों, सामाजिक संघर्षों तथा द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अधिकांश देशों ने नागरिकों के कल्याण की जिम्मेदारी स्वीकार की। ब्रिटेन की बेवरेज रिपोर्ट (1942) तथा कीन्सीय आर्थिक विचारधारा ने आधुनिक कल्याणकारी राज्य की आधारशिला रखी। भारत में यह अवधारणा स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही विकसित होने लगी थी। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉ. भीमराव आंबेडकर, राम मनोहर लोहिया तथा अन्य विचारकों ने सामाजिक एवं आर्थिक न्याय को राष्ट्र–निर्माण का आधार माना। संविधान सभा की बहसों में भी यह स्पष्ट किया गया कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक सार्थक नहीं होगा जब तक उसके साथ सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना न हो। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत में कल्याणकारी नीतियों का स्वरूप बदला। राज्य ने प्रत्यक्ष नियंत्रण की अपेक्षा नियामक, प्रोत्साहक तथा साझेदारी आधारित मॉडल को अपनाया। डिजिटल शासन, आधार, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, जन–धन योजना, आयुष्मान भारत, पीएम–किसान, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा अन्य योजनाओं ने कल्याणकारी व्यवस्था को नई दिशा प्रदान की। वर्तमान समय में सामाजिक न्याय केवल

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 12, December 2025

आरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, लैंगिक समानता, डिजिटल पहुँच, पर्यावरणीय न्याय तथा सतत विकास से भी जुड़ गया है। इसलिए कल्याणकारी राज्य की समकालीन अवधारणा का पुनर्मूल्यांकन अत्यंत आवश्यक हो गया है।

1.2 समस्या का प्रतिपादन– भारतीय राज्य स्वयं को संविधान के अनुसार एक लोकतांत्रिक एवं कल्याणकारी राज्य के रूप में प्रस्तुत करता है, किन्तु वास्तविकता में सामाजिक, आर्थिक एवं क्षेत्रीय असमानताएँ अभी भी व्यापक रूप से विद्यमान हैं। गरीबी, बेरोजगारी, पोषण संबंधी समस्याएँ, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की असमान उपलब्धता, लैंगिक भेदभाव, जातीय विषमताएँ तथा डिजिटल विभाजन जैसी चुनौतियाँ यह संकेत देती हैं कि कल्याणकारी नीतियों के बावजूद सामाजिक न्याय का लक्ष्य पूर्णतः प्राप्त नहीं हो सका है। दूसरी ओर, वैश्वीकरण एवं उदारीकरण के कारण राज्य की भूमिका में आए परिवर्तन ने यह प्रश्न भी उत्पन्न किया है कि क्या आधुनिक कल्याणकारी राज्य अपनी पारंपरिक जिम्मेदारियों का निर्वहन पूर्ववत् कर पा रहा है अथवा वह केवल लक्षित लाभार्थी–आधारित योजनाओं तक सीमित होता जा रहा है। इसी प्रकार सामाजिक न्याय की राजनीति अनेक बार सामाजिक समावेशन और राजनीतिक ध्रुवीकरण के बीच संतुलन की चुनौती का सामना करती है। इन परिस्थितियों में यह अध्ययन इस मूल प्रश्न की पड़ताल करता है कि भारत में बदलती कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ने सामाजिक न्याय की राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया है तथा वर्तमान नीतियाँ संविधान में निहित सामाजिक न्याय के उद्देश्यों को किस सीमा तक साकार कर रही हैं।

1.3 अध्ययन के उद्देश्य'–

1. कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के ऐतिहासिक एवं सैद्धान्तिक विकास का अध्ययन करना।
2. भारतीय संविधान में निहित कल्याणकारी राज्य के प्रावधानों का विश्लेषण करना।
3. भारत में सामाजिक न्याय की राजनीति के विकासक्रम का अध्ययन करना।
4. उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के पश्चात् कल्याणकारी राज्य की बदलती भूमिका का मूल्यांकन करना।
5. प्रमुख सामाजिक कल्याण योजनाओं की प्रभावशीलता का विश्लेषण करना।
6. सामाजिक न्याय एवं समावेशी विकास के मध्य संबंधों का अध्ययन करना।
7. वर्तमान चुनौतियों एवं संभावित सुधारों का विश्लेषण प्रस्तुत करना।

1.4 शोध प्रश्न

1. कल्याणकारी राज्य की अवधारणा समय के साथ किस प्रकार परिवर्तित हुई है?
2. भारतीय संविधान सामाजिक न्याय एवं कल्याणकारी राज्य को किस प्रकार परिभाषित करता है?
3. उदारीकरण के पश्चात् राज्य की कल्याणकारी भूमिका में क्या परिवर्तन हुए हैं?
4. सामाजिक न्याय की राजनीति ने भारतीय लोकतंत्र एवं सार्वजनिक नीति को किस प्रकार प्रभावित किया है?
5. क्या वर्तमान कल्याणकारी योजनाएँ सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं को प्रभावी रूप से कम कर रही हैं?

6. डिजिटल शासन एवं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण ने कल्याणकारी राज्य की कार्यप्रणाली में क्या परिवर्तन किए हैं?

7. भविष्य में भारत के लिए अधिक समावेशी कल्याणकारी राज्य की क्या संभावनाएँ हैं?

1.5 परिकल्पनाएँ–

1. कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पारंपरिक राज्य से विकसित होकर डिजिटल, सहभागी एवं लक्षित कल्याण मॉडल में परिवर्तित हुई है।
2. भारतीय संविधान के सामाजिक न्याय संबंधी प्रावधानों ने कल्याणकारी नीतियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
3. उदारीकरण के पश्चात् राज्य की प्रत्यक्ष भूमिका में कमी आई है, किन्तु सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों का विस्तार हुआ है।
4. सामाजिक न्याय की राजनीति ने नीति–निर्माण में वंचित एवं कमजोर वर्गों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाया है।
5. डिजिटल प्रौद्योगिकी आधारित कल्याणकारी योजनाओं ने पारदर्शिता एवं लक्षित लाभ वितरण में सुधार किया है, यद्यपि समावेशन संबंधी चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं।

1.6 शोध प्रविधि – यह अध्ययन मुख्यतः गुणात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रकृति का है। शोध में वर्णनात्मक, व्याख्यात्मक तथा तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया है। अध्ययन का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की बदलती अवधारणा तथा भारत में सामाजिक न्याय की राजनीति के अंतर्संबंधों का सैद्धान्तिक एवं नीतिगत विश्लेषण करना है। अध्ययन के लिए द्वितीयक स्रोतों का व्यापक उपयोग किया गया है। इनमें भारतीय संविधान, संसद द्वारा पारित अधिनियम, भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्टें, नीति आयोग के दस्तावेज, आर्थिक सर्वेक्षण, केंद्रीय बजट, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, नीति–पत्र, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से संबंधित शोध, प्रतिष्ठित शोध–पत्रिकाएँ, पुस्तकों, शोध–प्रबंधों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों की रिपोर्टें तथा अन्य प्रामाणिक प्रकाशित स्रोत सम्मिलित हैं। अध्ययन में विषयवस्तु विश्लेषण, दस्तावेज़ीय विश्लेषण तथा तुलनात्मक विश्लेषण की विधियों का उपयोग किया गया है। आवश्यकतानुसार विभिन्न सरकारी आँकड़ों, सामाजिक सूचकांकों, योजनागत व्यय तथा सामाजिक विकास संकेतकों का विश्लेषण सारणियों एवं व्याख्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे निष्कर्षों की विश्वसनीयता एवं वस्तुनिष्ठता सुनिश्चित हो सके। अध्ययन की सीमा यह है कि यह मुख्यतः द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है तथा इसका उद्देश्य वैचारिक एवं नीतिगत विश्लेषण प्रस्तुत करना है, न कि किसी विशिष्ट क्षेत्र का प्राथमिक सर्वेक्षण करना।

2. विस्तृत साहित्य समीक्षा एवं कल्याणकारी राज्य का सैद्धान्तिक आधार–

2.1 साहित्य समीक्षा – किसी भी शोध की वैज्ञानिकता इस बात पर निर्भर करती है कि वह पूर्ववर्ती ज्ञान, उपलब्ध शोध तथा स्थापित सिद्धान्तों का कितना सम्यक् विश्लेषण करता है। प्रस्तुत अध्ययन का विषय ''कल्याणकारी राज्य की बदलती अवधारणा और भारत में सामाजिक न्याय की राजनीति'' राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र तथा संवैधानिक अध्ययन जैसे अनेक अनुशासनों से संबंधित है। अतः इसकी साहित्य समीक्षा में शास्त्रीय एवं समकालीन दोनों प्रकार के विद्वानों के विचारों का समावेश आवश्यक है। कल्याणकारी राज्य की आधुनिक अवधारणा का व्यवस्थित विकास बीसवीं शताब्दी में हुआ। यद्यपि प्राचीन काल में भी राज्य के दायित्वों का उल्लेख मिलता है, परन्तु आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज्य को

नागरिकों के सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण का उत्तरदायी मानने की अवधारणा द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अधिक सशक्त हुई। इस संदर्भ में ब्रिटिश अर्थशास्त्री एवं सामाजिक सुधारक **William Beveridge (1942)'' की 'Beveridge Report' को आधुनिक कल्याणकारी राज्य की आधारशिला माना जाता है। उन्होंने समाज के समक्ष विद्यमान पाँच प्रमुख समस्याओं गरीबी, बीमारी, अज्ञानता, बेरोजगारी तथा गंदगीकृको समाप्त करने के लिए व्यापक सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता प्रतिपादित की।

T- H- Marshall (1950)'' ने नागरिकता की अवधारणा को नागरिक, राजनीतिक एवं सामाजिक अधिकारों के रूप में विकसित किया। उनके अनुसार सामाजिक अधिकारों की वास्तविक उपलब्धता के बिना लोकतंत्र अधूरा है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा एवं सम्मानजनक जीवन की गारंटी प्रत्येक नागरिक का अधिकार होना चाहिए।

''John Maynard Keynes'' के आर्थिक सिद्धान्तों ने भी कल्याणकारी राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने आर्थिक मंदी से निपटने तथा रोजगार बढ़ाने के लिए राज्य के सक्रिय हस्तक्षेप का समर्थन किया। उनके विचारों ने युद्धोत्तर यूरोप तथा अन्य देशों में सार्वजनिक निवेश आधारित कल्याणकारी नीतियों को वैचारिक आधार प्रदान किया।

''Richard Titmuss (1958)'' ने सामाजिक नीति को केवल आर्थिक सहायता का माध्यम न मानकर सामाजिक समानता स्थापित करने का उपकरण माना। उनके अनुसार कल्याणकारी नीतियों का उद्देश्य केवल राहत प्रदान करना नहीं बल्कि समाज में अवसरों की समानता सुनिश्चित करना भी है।

''Gøsta Esping-Andersen (1990)'' ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'The Three Worlds of Welfare Capitalism' में कल्याणकारी राज्यों को उदारवादी, रूढ़िवादी तथा सामाजिक लोकतांत्रिक मॉडलों में वर्गीकृत किया। उनका विश्लेषण आज भी तुलनात्मक कल्याणकारी राज्य अध्ययन का आधार माना जाता है।

''Amartya Sen (1999)'' ने विकास को केवल आर्थिक वृद्धि नहीं बल्कि मानव क्षमताओं (CapabilitieS) के विस्तार की प्रक्रिया माना। उनके अनुसार यदि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण तथा सामाजिक अवसर उपलब्ध नहीं हैं तो आर्थिक विकास भी वास्तविक मानव विकास नहीं माना जा सकता। उनकी 'ब्वंइपसपजल ।चचतवंबी' आधुनिक सामाजिक न्याय विमर्श की आधारभूत अवधारणाओं में से एक है।

''Martha Nussbaum'' ने क्षमता दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए गरिमामय जीवन के लिए आवश्यक मानवीय क्षमताओं की सूची प्रस्तुत की तथा राज्य की जिम्मेदारी को इन क्षमताओं के विकास से जोड़ा।

भारत के संदर्भ में ''डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर'' के विचार सामाजिक न्याय के सबसे महत्वपूर्ण आधार हैं। उन्होंने संविधान निर्माण के दौरान स्पष्ट किया कि राजनीतिक लोकतंत्र तभी सफल होगा जब सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र भी स्थापित होगा। उनके अनुसार जातिगत असमानताओं का उन्मूलन, समान अवसर तथा राज्य द्वारा सकारात्मक भेदभाव (Affirmative Action) सामाजिक न्याय की पूर्वशर्त हैं।

''महात्मा गांधी'' ने ग्राम स्वराज, सर्वोदय तथा अन्त्योदय के माध्यम से ऐसे समाज की कल्पना की जिसमें विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। उनका ट्रस्टीशिप सिद्धान्त आर्थिक समानता एवं सामाजिक उत्तरदायित्व पर आधारित था।

''जवाहरलाल नेहरू'' ने लोकतांत्रिक समाजवाद को भारतीय विकास मॉडल का आधार बनाया। उन्होंने योजनाबद्ध आर्थिक विकास, सार्वजनिक क्षेत्र तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक विषमताओं को कम करने का प्रयास किया।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 12, December 2025

''राम मनोहर लोहिया'' ने सामाजिक न्याय को केवल आर्थिक समानता तक सीमित न मानकर जाति, लिंग तथा सामाजिक भेदभाव के उन्मूलन से जोड़ा। उनके विचारों ने पिछड़े वर्गों की राजनीति को वैचारिक आधार प्रदान किया।

भारतीय विद्वानों में ''Granville Austin'' ने भारतीय संविधान को "Social Revolution" का दस्तावेज़ बताया। उनके अनुसार संविधान का मूल उद्देश्य लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन लाना है।

''Upendra Baxi'' ने मानवाधिकार, संवैधानिक न्याय एवं सामाजिक उत्तरदायित्व के संदर्भ में भारतीय राज्य की भूमिका का विस्तृत विश्लेषण किया है।

''Rajni Kothari'' ने भारतीय राजनीति में सामाजिक परिवर्तन, लोकतांत्रिक भागीदारी तथा जाति–राजनीति के अंतर्संबंधों का विश्लेषण करते हुए बताया कि सामाजिक न्याय की राजनीति भारतीय लोकतंत्र के विकास का अभिन्न अंग बन चुकी है।

''Yogendra Yadav'', ''Christophe Jaffrelot'', ''Zoya Hasan''Pratap Bhanu Mehta'' तथा ''Niraja Gopal Jayal'' ने भारतीय लोकतंत्र, सामाजिक प्रतिनिधित्व, चुनावी राजनीति, पिछड़े वर्गों के राजनीतिक उभार तथा समावेशी शासन पर महत्वपूर्ण अध्ययन प्रस्तुत किए हैं।

आर्थिक उदारीकरण के पश्चात् अनेक विद्वानों ने यह प्रश्न उठाया कि क्या बाजारोन्मुख विकास मॉडल कल्याणकारी राज्य को कमजोर करता है। ''Joseph Stiglitz'', ''Dani Rodrik'', ''Thomas Piketty'' तथा ''Jean Drèze एवं Amartya Sen'' ने यह प्रतिपादित किया कि राज्य की सक्रिय सामाजिक भूमिका के बिना समावेशी विकास संभव नहीं है। विशेष रूप से भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा पर सार्वजनिक निवेश को उन्होंने अत्यंत आवश्यक बताया।

हाल के वर्षों में डिजिटल शासन, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, आधार, जन–धन योजना तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर अनेक शोध प्रकाशित हुए हैं। इन अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि डिजिटल तकनीक ने पारदर्शिता एवं दक्षता में वृद्धि की है, किन्तु डिजिटल विभाजन, आधार प्रमाणीकरण की समस्याएँ तथा प्रशासनिक क्षमता जैसी चुनौतियाँ भी सामने आई हैं।

राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय साहित्य का समग्र अध्ययन यह दर्शाता है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निरंतर विकसित हो रही है। आज इसका स्वरूप केवल सरकारी सहायता तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह मानव विकास, सामाजिक समावेशन, लैंगिक समानता, डिजिटल समावेशन, पर्यावरणीय न्याय, सहभागी शासन तथा सतत विकास जैसे व्यापक आयामों को भी समाहित करता है।

यद्यपि इस विषय पर पर्याप्त साहित्य उपलब्ध है, फिर भी भारतीय संदर्भ में ''कल्याणकारी राज्य की बदलती अवधारणा'' तथा ''सामाजिक न्याय की राजनीति'' के परस्पर संबंधों का समग्र एवं समकालीन विश्लेषण अपेक्षाकृत कम उपलब्ध है। प्रस्तुत शोध इसी शोध–अंतर को भरने का प्रयास करता है।

2.2– **कल्याणकारी राज्य का सैद्धान्तिक आधार** – कल्याणकारी राज्य आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्त की एक प्रमुख अवधारणा है। इसका मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक नागरिक को न्यूनतम जीवन–स्तर, सामाजिक सुरक्षा, समान अवसर तथा गरिमापूर्ण जीवन प्राप्त हो। यह अवधारणा उदारवाद, समाजवाद, लोकतंत्र, मानवाधिकार तथा सामाजिक न्याय जैसे विचारों के समन्वय से विकसित हुई है।

राजनीतिक सिद्धान्त के अनुसार राज्य की भूमिका समय के साथ परिवर्तित होती रही है। प्रारंभिक उदारवादी विचारक ''John Locke'', ''Adam Smith'' तथा ''Herbert Spencer'' न्यूनतम राज्य के पक्षधर थे। उनके अनुसार राज्य का प्रमुख कार्य कानून–व्यवस्था बनाए रखना तथा नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करना था। आर्थिक गतिविधियों में राज्य का हस्तक्षेप न्यूनतम होना चाहिए।

उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में औद्योगीकरण, पूँजीवाद तथा श्रमिक शोषण के कारण यह स्पष्ट हुआ कि केवल मुक्त बाजार सामाजिक न्याय सुनिश्चित नहीं कर सकता। परिणामस्वरूप राज्य के दायित्वों का विस्तार हुआ तथा सामाजिक सुरक्षा, श्रमिक अधिकार, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ा।

''Keynesian Welfare State Theory'' के अनुसार आर्थिक अस्थिरता एवं बेरोजगारी से निपटने के लिए राज्य का सक्रिय आर्थिक हस्तक्षेप आवश्यक है। सार्वजनिक निवेश, सामाजिक व्यय तथा रोजगार कार्यक्रम आर्थिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं।

''Social Democratic Theory'' कल्याणकारी राज्य को समानता एवं सामाजिक न्याय का प्रमुख माध्यम मानती है। स्कैंडिनेवियाई देशों का मॉडल इसका प्रमुख उदाहरण है जहाँ सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को नागरिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है।

''Liberal Welfare Model'' सीमित सरकारी हस्तक्षेप एवं लक्षित सहायता का समर्थन करता है। इसमें बाजार की प्रमुख भूमिका रहती है तथा राज्य केवल कमजोर वर्गों को न्यूनतम सहायता प्रदान करता है।

''Conservative Welfare Model'' सामाजिक सुरक्षा में परिवार, समुदाय एवं पारंपरिक संस्थाओं की भूमिका को महत्व देता है।

भारतीय संदर्भ में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का आधार संविधान है। संविधान की प्रस्तावना सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की स्थापना का संकल्प व्यक्त करती है। मौलिक अधिकार नागरिकों को समानता एवं स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, जबकि नीति–निदेशक तत्व राज्य को समाजवादी एवं कल्याणकारी नीतियाँ अपनाने हेतु निर्देशित करते हैं।

डॉ. भीमराव आंबेडकर ने स्पष्ट किया था कि भारतीय लोकतंत्र की सफलता सामाजिक लोकतंत्र पर निर्भर करेगी। उनके अनुसार स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व परस्पर पूरक सिद्धान्त हैं। यदि सामाजिक एवं आर्थिक असमानताएँ बनी रहती हैं तो राजनीतिक लोकतंत्र भी स्थायी नहीं रह सकता।

महात्मा गांधी का अन्त्योदय सिद्धान्त कल्याणकारी राज्य को समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण से जोड़ता है। वहीं जवाहरलाल नेहरू ने लोकतांत्रिक समाजवाद के माध्यम से योजनाबद्ध विकास एवं सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को महत्व दिया।

समकालीन समय में ''Capability Approach'', ''Human Development Theory'', ''Inclusive Growth Theory'', ''Good Governance Theory'' तथा ''Sustainable Development Framework'' कल्याणकारी राज्य की नई वैचारिक आधारशिलाएँ बन चुकी हैं। इन सिद्धान्तों के अनुसार विकास का वास्तविक उद्देश्य केवल आय में वृद्धि नहीं, बल्कि मानव जीवन की गुणवत्ता, अवसरों की समानता, सामाजिक सुरक्षा तथा पर्यावरणीय संतुलन सुनिश्चित करना है।

आज का कल्याणकारी राज्य पारंपरिक सहायता–आधारित मॉडल से आगे बढ़कर अधिकार–आधारित प्रौद्योगिकी–संचालित, सहभागी तथा ''उत्तरदायी शासन की ओर अग्रसर है। इसी परिवर्तन ने सामाजिक न्याय की राजनीति को भी नई दिशा प्रदान की है, जहाँ प्रतिनिधित्व, समावेशन, पहचान, अवसरों की समानता तथा गरिमामय जीवन लोकतांत्रिक विमर्श के केंद्र में आ गए हैं।

अतः सैद्धान्तिक दृष्टि से कल्याणकारी राज्य एक गतिशील अवधारणा है, जो बदलती आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं तकनीकी परिस्थितियों के अनुरूप निरंतर विकसित होती रहती है। भारत में इसकी सफलता संविधान के मूल आदर्शों न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्वकृके प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करती है।

3. भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा– भारतीय संविधान केवल शासन–व्यवस्था का कानूनी दस्तावेज़ नहीं है, बल्कि यह सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक समानता और लोकतांत्रिक न्याय का एक व्यापक घोषणापत्र भी है। संविधान–निर्माताओं ने स्वतंत्र भारत की कल्पना ऐसे राज्य के रूप में की थी जो केवल कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित न रहे, बल्कि प्रत्येक नागरिक के जीवन स्तर में सुधार, अवसरों की समानता तथा सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी सुनिश्चित करे। यही कारण है कि भारतीय संविधान की मूल भावना में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अंतर्निहित है। संविधान की प्रस्तावना भारत को ''सम्पूर्ण प्रभुत्व–संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य'' घोषित करते हुए सभी नागरिकों को ''सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय'', ''विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता'', ''प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता'' तथा ''बंधुत्व'' सुनिश्चित करने का संकल्प व्यक्त करती है। यद्यपि समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन (1976) द्वारा जोड़ा गया, तथापि संविधान की मूल संरचना में प्रारम्भ से ही सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की भावना विद्यमान थी। मौलिक अधिकार, नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध संरक्षण, धार्मिक स्वतंत्रता तथा संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता स्थापित करता है, जबकि अनुच्छेद 15 एवं 16 सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधानों को वैधानिक आधार प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, जो सामाजिक न्याय की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

कल्याणकारी राज्य की वास्तविक आधारशिला संविधान के ''राज्य के नीति–निदेशक तत्वों (Directive Principles of State Policy)'' में निहित है। अनुच्छेद 38 राज्य को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 39 आय एवं संपत्ति के समान वितरण, समान कार्य के लिए समान वेतन तथा संसाधनों के न्यायपूर्ण उपयोग पर बल देता है। अनुच्छेद 41 कार्य, शिक्षा एवं सार्वजनिक सहायता के अधिकार की दिशा में राज्य को प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। अनुच्छेद 42 श्रमिकों के लिए मानवीय कार्य–परिस्थितियों एवं मातृत्व राहत का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 43 सम्मानजनक जीवन स्तर एवं निर्वाह योग्य मजदूरी की व्यवस्था की अपेक्षा करता है। अनुच्छेद 45 बाल शिक्षा तथा अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों की विशेष सुरक्षा का निर्देश देता है। अनुच्छेद 47 पोषण स्तर, जनस्वास्थ्य तथा जीवन स्तर में सुधार को राज्य का प्रमुख दायित्व घोषित करता है। संविधान की इन व्यवस्थाओं ने भारत में सामाजिक न्याय, सकारात्मक भेदभाव (Affirmative Action), आरक्षण नीति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, रोजगार कार्यक्रमों तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी अनेक ऐतिहासिक निर्णयों में जीवन के अधिकार

(अनुच्छेद 21) की व्यापक व्याख्या करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पर्यावरण, गरिमामय जीवन एवं आजीविका को कल्याणकारी राज्य की जिम्मेदारी का अंग माना है।

इस प्रकार भारतीय संविधान केवल राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना नहीं करता, बल्कि सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र के माध्यम से एक न्यायपूर्ण एवं समावेशी समाज की स्थापना का मार्ग भी प्रशस्त करता है।

4. भारत में सामाजिक न्याय की राजनीति का विकास— भारत में सामाजिक न्याय की राजनीति का विकास स्वतंत्रता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि तथा संविधान की मूल भावना से जुड़ा हुआ है। औपनिवेशिक काल में जातिगत भेदभाव, आर्थिक विषमता, सामाजिक बहिष्करण तथा लैंगिक असमानता जैसी समस्याएँ अत्यंत गंभीर थीं। स्वतंत्रता के पश्चात् लोकतांत्रिक शासन की स्थापना के साथ इन समस्याओं के समाधान के लिए राज्य ने संवैधानिक एवं नीतिगत उपाय अपनाए। प्रारम्भिक दशकों में सामाजिक न्याय का प्रमुख लक्ष्य अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को शिक्षा, रोजगार एवं राजनीतिक प्रतिनिधित्व में अवसर उपलब्ध कराना था। संविधान के अनुच्छेद 330 एवं 332 के अंतर्गत संसद एवं विधानसभाओं में आरक्षित प्रतिनिधित्व तथा अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था इसी उद्देश्य से की गई। 1950 से 1980 के बीच सामाजिक न्याय मुख्यतः भूमि सुधार, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, पंचायती राज, शिक्षा विस्तार तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों तक सीमित रहा। किन्तु 1980 के दशक में पिछड़े वर्गों की राजनीतिक चेतना के विकास तथा मंडल आयोग की अनुशंसाओं ने सामाजिक न्याय की राजनीति को नया आयाम प्रदान किया। 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग भारतीय राजनीति का एक प्रमुख सामाजिक एवं राजनीतिक समूह बनकर उभरा। इसके पश्चात् महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व, पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण, शिक्षा के अधिकार, खाद्य सुरक्षा, वनाधिकार, सूचना का अधिकार तथा मनरेगा जैसे अधिकार–आधारित कानूनों ने सामाजिक न्याय की अवधारणा का विस्तार किया। इक्कीसवीं शताब्दी में सामाजिक न्याय की राजनीति केवल जाति–आधारित प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर समुदाय, वरिष्ठ नागरिक, शहरी गरीब, प्रवासी श्रमिक तथा डिजिटल रूप से वंचित वर्ग भी सम्मिलित होने लगे।

वर्तमान समय में सामाजिक न्याय की राजनीति तीन प्रमुख आयामों पर आधारित दिखाई देती है—

- प्रतिनिधित्व —
- संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण —
- सम्मान एवं पहचान —

यही कारण है कि आज सामाजिक न्याय भारतीय लोकतंत्र की चुनावी राजनीति, सार्वजनिक नीति तथा प्रशासनिक सुधारों का केंद्रीय विषय बन चुका है।

5. स्वतंत्रता के बाद भारत में कल्याणकारी नीतियों का विकास— स्वतंत्रता के पश्चात् भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था एवं योजनाबद्ध विकास मॉडल को अपनाया। प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही कृषि, सिंचाई, ग्रामीण विकास, शिक्षा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई। आगामी दशकों में सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार, औद्योगीकरण तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य ने सामाजिक एवं आर्थिक विकास को गति देने का प्रयास किया। 1960 एवं 1970 के दशक में हरित क्रांति, बैंक राष्ट्रीयकरण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा गरीबी हटाओ कार्यक्रमों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं खाद्य सुरक्षा को मजबूत किया। 1980 के दशक में ग्रामीण रोजगार योजनाओं, महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों तथा सामाजिक सुरक्षा

योजनाओं का विस्तार हुआ। इसी अवधि में शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकारी निवेश में भी वृद्धि हुई। 1991 के आर्थिक सुधारों के पश्चात् राज्य की भूमिका में परिवर्तन आया। प्रत्यक्ष उत्पादन एवं नियंत्रण की अपेक्षा राज्य ने नियामक, प्रोत्साहक एवं साझेदारी आधारित भूमिका अपनाई। इसके साथ ही लक्षित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार किया गया। 2000 के बाद अधिकार–आधारित कल्याणकारी नीतियों का विकास हुआ। सूचना का अधिकार अधिनियम (2005), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (2005), वनाधिकार अधिनियम (2006), शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009) तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (2013) ने कल्याणकारी राज्य की नई दिशा निर्धारित की। 2014 के पश्चात् वित्तीय समावेशन, डिजिटल शासन, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, सामाजिक सुरक्षा बीमा, स्वास्थ्य सुरक्षा तथा डिजिटल पहचान आधारित योजनाओं को विशेष महत्व दिया गया। जन–धन योजना, आधार, भीम–UPI, डिजिटल भुगतान, आयुष्मान भारत, पीएम–किसान, उज्ज्वला योजना तथा जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं ने कल्याणकारी प्रशासन के स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया।

6. उदारीकरण, वैश्वीकरण और बदलती कल्याणकारी राज्य की अवधारणा– 1991 के आर्थिक उदारीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ–साथ कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को भी गहराई से प्रभावित किया। इससे पूर्व राज्य विकास प्रक्रिया का प्रत्यक्ष संचालक था, जबकि उदारीकरण के बाद निजी क्षेत्र, विदेशी निवेश तथा प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया गया। इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप राज्य की भूमिका उत्पादक से ष्सुविधा प्रदाता तथा नियामक के रूप में विकसित हुई। वैश्वीकरण के कारण आर्थिक विकास की गति बढ़ी, विदेशी निवेश में वृद्धि हुई तथा रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हुए। किन्तु इसके साथ आय असमानता, क्षेत्रीय विषमता, असंगठित क्षेत्र की चुनौतियाँ तथा सामाजिक सुरक्षा संबंधी प्रश्न भी उभरकर सामने आए। इन चुनौतियों के समाधान के लिए भारत ने लक्षित सब्सिडी, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, डिजिटल पहचान, सामाजिक सुरक्षा बीमा तथा वित्तीय समावेशन जैसे नए मॉडल अपनाए। अधिकार–आधारित दृष्टिकोण, डिजिटल शासन, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, लक्षित सब्सिडी, सार्वजनिक–निजी भागीदारी, सहभागी शासन, परिणाम–आधारित नीति निर्माण, सतत विकास एवं पर्यावरणीय न्याय, लैंगिक समानता, वित्तीय समावेशन समकालीन कल्याणकारी राज्य की प्रमुख विशेषताएँ हैं। इस प्रकार आधुनिक भारत में कल्याणकारी राज्य का स्वरूप अधिक प्रौद्योगिकी–आधारित, पारदर्शी तथा लक्षित होता जा रहा है।

7– प्रमुख सरकारी योजनाओं एवं नीतियों का विश्लेषण– भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएँ कल्याणकारी राज्य की व्यावहारिक अभिव्यक्ति हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता प्रदान करना नहीं, बल्कि नागरिकों को सम्मानजनक जीवन, सामाजिक सुरक्षा तथा अवसरों की समानता उपलब्ध कराना है। ''महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)'' ग्रामीण परिवारों को प्रतिवर्ष न्यूनतम 100 दिनों का अकुशल रोजगार उपलब्ध कराकर ग्रामीण आय, आजीविका सुरक्षा तथा ग्रामीण अवसंरचना को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है। इस योजना ने विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं एवं कमजोर वर्गों की आर्थिक भागीदारी को बढ़ाया है। ''राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम'' खाद्यान्न वितरण को कानूनी अधिकार का स्वरूप प्रदान करता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीब परिवारों को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है, जिससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है। ''प्रधानमंत्री जन–धन योजना'' वित्तीय समावेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। बैंक खाते, बीमा, पेंशन तथा डिजिटल भुगतान सुविधाओं के माध्यम से करोड़ों नागरिकों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा गया। ''आधार एवं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण'' ने कल्याणकारी योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ाने, फर्जी लाभार्थियों की पहचान करने तथा सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजने की व्यवस्था को मजबूत किया है। इससे

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 12, December 2025

प्रशासनिक लागत में कमी तथा रिसाव में उल्लेखनीय कमी आई। 'आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना'' आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में से एक है। इसने गरीब परिवारों के स्वास्थ्य व्यय के बोझ को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने ग्रामीण महिलाओं को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराकर स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है। ''पीएम–किसान सम्मान निधि'' के माध्यम से लघु एवं सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे कृषि आय में स्थिरता लाने का प्रयास किया गया है। ''जल जीवन मिशन'' का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। यह योजना स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा जीवन गुणवत्ता में सुधार से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। ''स्वच्छ भारत मिशन'' ने खुले में शौच की समस्या को कम करने, स्वच्छता संबंधी व्यवहार परिवर्तन तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ''राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020'' गुणवत्तापूर्ण एवं समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देकर सामाजिक न्याय एवं मानव पूंजी निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण नीति मानी जाती है।

इन योजनाओं का समग्र विश्लेषण यह दर्शाता है कि भारत का कल्याणकारी राज्य अब केवल सब्सिडी आधारित मॉडल तक सीमित नहीं है, बल्कि वह ''डिजिटल समावेशन, वित्तीय सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा, मानव विकास तथा समावेशी विकास'' को एकीकृत रूप से आगे बढ़ा रहा है। फिर भी इन योजनाओं की प्रभावशीलता राज्यों की प्रशासनिक क्षमता, लाभार्थियों की जागरूकता, डिजिटल पहुँच, पारदर्शिता तथा सामाजिक उत्तरदायित्व पर निर्भर करती है। अतः भारतीय कल्याणकारी राज्य निरंतर परिवर्तनशील है और इसकी सफलता केवल योजनाओं की संख्या से नहीं, बल्कि उनके वास्तविक सामाजिक प्रभाव, समावेशिता, न्यायपूर्ण वितरण तथा लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व से निर्धारित होगी।

8. डेटा विश्लेषण– इस अध्ययन में भारत सरकार, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नीति आयोग, आर्थिक सर्वेक्षण, NFHS तथा अन्य सार्वजनिक स्रोतों से प्राप्त द्वितीयक आँकड़ों का विश्लेषण किया गया है। प्रस्तुत सारणियाँ कल्याणकारी राज्य की बदलती भूमिका तथा सामाजिक न्याय संबंधी नीतियों के प्रभाव को समझने में सहायक हैं।

सारणी–01
भारत में सामाजिक क्षेत्र व्यय (कुल बजट का प्रतिशत)

क्र0	वर्ष	सामाजिक क्षेत्र व्यय (%)
1	1991–92	18
2	2000–01	22
3	2010–11	28
4	2020–21	33
5	2024–25	35

विश्लेषण – सामाजिक क्षेत्र पर व्यय में निरंतर वृद्धि यह दर्शाती है कि उदारीकरण के बाद भी राज्य ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण तथा सामाजिक सुरक्षा पर ध्यान बनाए रखा है।

सारणी–02
गरीबी दर में परिवर्तन

वर्ष	गरीबी दर (%)
1993–94	45.3
2004–05	37.2
2011–12	21.9
2019–20	14.0
2023–24	11.2

विश्लेषण – गरीबी दर में उल्लेखनीय कमी कल्याणकारी योजनाओं, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों एवं खाद्य सुरक्षा उपायों के प्रभाव को दर्शाती है।

सारणी–03
मनरेगा के अंतर्गत रोजगार (करोड़ व्यक्ति–दिवस)

वर्ष	व्यक्ति–दिवस (करोड़)
2015–16	235
2017–18	233
2019–20	265
2020–21	389
2023–24	291

विश्लेषण – कोविड–19 के दौरान मनरेगा ग्रामीण आजीविका सुरक्षा का प्रमुख साधन बनकर उभरा।

सारणी–04
जन–धन खातों की संख्या

वर्ष	खाते (करोड़)
2015	17.9
2017	28.2
2019	36.8
2021	43.0
2024	52.5

विश्लेषण– वित्तीय समावेशन की दिशा में यह योजना सामाजिक न्याय के आर्थिक आयाम को सुदृढ़ करती है।

सारणी–05
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से हस्तांतरित राशि

वर्ष	राशि (लाख करोड़ ₹)
2016–17	1.7
2018–19	3.8
2020–21	5.5
2022–23	6.8
2024–25	7.5

विश्लेषण – DBT ने कल्याणकारी वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी एवं लक्षित बनाया है।

सारणी–06
आयुष्मान भारत के लाभार्थी

वर्ष	लाभार्थी (करोड़)
2019	0.8
2020	1.6
2021	2.8
2022	3.9
2024	5.5

विश्लेषण – स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में राज्य की सक्रिय भूमिका स्पष्ट दिखाई देती है।

सारणी–07
अनुसूचित जाति/जनजाति के उच्च शिक्षा में नामांकन

वर्ष	नामांकन (%)
2005–06	14
2010–11	18
2015–16	23
2020–21	27
2023–24	30

विश्लेषण – आरक्षण एवं छात्रवृत्ति नीतियों ने शैक्षिक समावेशन को बढ़ावा दिया है।

सारणी 08
महिला श्रमशक्ति भागीदारी दर

वर्ष	भागीदारी (%)
2005	31
2015	23
2020	28
2022	32
2024	37

विश्लेषण – हाल के वर्षों में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी में सुधार देखा गया है।

सारणी 09
इंटरनेट उपयोग (ग्रामीण परिवारों का प्रतिशत)

वर्ष	उपयोग (%)
2015	9
2018	18
2020	28
2022	37
2024	49

विश्लेषण – डिजिटल समावेशन में वृद्धि हुई है, किंतु डिजिटल विभाजन अभी भी पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ है।

सारणी–10
भारत का मानव विकास सूचकांक (HDI)

वर्ष	**HDI मान**
2000	0.495
2005	0.554
2010	0.624
2020	0.645
2023	0.685

विश्लेषण – मानव विकास में निरंतर सुधार कल्याणकारी नीतियों की दीर्घकालिक प्रभावशीलता को दर्शाता है।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 12, December 2025

उपरोक्त आँकड़ों का संयुक्त अध्ययन निम्नलिखित प्रवृत्तियों को स्पष्ट करता है, सामाजिक क्षेत्र पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि यह संकेत करता है कि आर्थिक उदारीकरण के बावजूद राज्य ने कल्याणकारी दायित्वों को पूर्णतः त्यागा नहीं है। गरीबी में उल्लेखनीय कमी, खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण रोजगार तथा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजनाओं ने आय–सुरक्षा को मजबूत किया है। डिजिटल कल्याण मॉडल का उदय, DBT, आधार और जन–धन के माध्यम से राज्य ने लाभ वितरण की नई प्रशासनिक संरचना विकसित की है। सामाजिक प्रतिनिधित्व में वृद्धि, SC@ST एवं अन्य वंचित वर्गों की शिक्षा एवं सार्वजनिक संस्थानों तक पहुँच में सुधार हुआ है। लैंगिक समावेशन, महिला श्रमशक्ति भागीदारी तथा स्वयं सहायता समूह आधारित कार्यक्रमों ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है। स्वास्थ्य सुरक्षा का विस्तार, आयुष्मान भारत जैसी योजनाएँ कल्याणकारी राज्य के स्वास्थ्य आयाम को सुदृढ़ करती हैं।

9. चर्चा – अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि भारत में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा तीन प्रमुख चरणों से गुजरी है–

चरण 1– संरक्षणात्मक कल्याण (1950–1980) – इस चरण में राज्य ने भूमि सुधार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ग्रामीण विकास एवं सार्वजनिक क्षेत्र आधारित विकास मॉडल अपनाया।

चरण 2– संक्रमणकालीन कल्याण (1980–2000) – गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों तथा मंडल आयोग के प्रभाव से सामाजिक न्याय की राजनीति का विस्तार हुआ।

चरण 3– डिजिटल एवं अधिकार–आधारित कल्याण (2000 के बाद) – मनरेगा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा का अधिकार, क्ठज, जन–धन एवं आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं ने कल्याणकारी राज्य को तकनीकी एवं लक्षित स्वरूप प्रदान किया।

इस प्रकार सामाजिक न्याय का विस्तार अर्थात अब यह केवल आरक्षण तक सीमित नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल पहुँच, लैंगिक समानता एवं वित्तीय समावेशन तक विस्तृत हो चुका है। राज्य की बदलती भूमिका अर्थात राज्य प्रत्यक्ष उत्पादक से नियामक एवं सुविधा प्रदाता की भूमिका में परिवर्तित हुआ है। डिजिटल तकनीक का प्रभाव अर्थात पारदर्शिता बढ़ी है, परंतु डिजिटल विभाजन एवं तकनीकी बहिष्करण की चुनौतियाँ भी उभरी हैं। राजनीतिक आयाम अर्थात सामाजिक न्याय भारतीय चुनावी राजनीति का केंद्रीय मुद्दा बन चुका है, जिससे नीति–निर्माण पर गहरा प्रभाव पड़ा है। क्षेत्रीय विषमताएँ अर्थात कल्याणकारी योजनाओं की प्रभावशीलता विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक क्षमता एवं सामाजिक संरचना के अनुसार भिन्न पाई गई।

निष्कर्ष – प्रस्तुत अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि भारत में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निरंतर परिवर्तनशील रही है। स्वतंत्रता के पश्चात् राज्य ने सामाजिक एवं आर्थिक न्याय को संविधान की मूल भावना के अनुरूप नीति–निर्माण का आधार बनाया। भूमि सुधार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, शिक्षा एवं स्वास्थ्य कार्यक्रमों से प्रारम्भ होकर यह प्रक्रिया मनरेगा, खाद्य सुरक्षा, जन–धन, क्ठज तथा आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं तक विस्तृत हुई है। उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के बाद राज्य की भूमिका में संरचनात्मक परिवर्तन अवश्य आया, किंतु सामाजिक सुरक्षा एवं समावेशी विकास की आवश्यकता समाप्त नहीं हुई। इसके विपरीत, बढ़ती असमानताओं, बेरोजगारी, क्षेत्रीय विषमताओं तथा डिजिटल विभाजन ने कल्याणकारी हस्तक्षेपों की आवश्यकता को और अधिक प्रासंगिक बना दिया। अध्ययन यह भी दर्शाता है कि सामाजिक न्याय की राजनीति ने वंचित एवं कमजोर वर्गों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व, शिक्षा, रोजगार एवं सामाजिक सुरक्षा तक पहुँच प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तथापि, केवल योजनाओं की संख्या बढ़ा देना पर्याप्त

नहीं है। उनकी वास्तविक सफलता पारदर्शी क्रियान्वयन, लक्षित वितरण, प्रशासनिक दक्षता, सामाजिक भागीदारी तथा संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। अतः समकालीन भारत के लिए आवश्यक है कि कल्याणकारी राज्य को केवल सहायता–आधारित व्यवस्था के रूप में न देखा जाए, बल्कि उसे मानव विकास, सामाजिक समावेशन, डिजिटल न्याय, लैंगिक समानता तथा सतत विकास पर आधारित एक व्यापक लोकतांत्रिक परियोजना के रूप में विकसित किया जाए। यही संविधान में निहित सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के आदर्शों की वास्तविक पूर्ति होगी।

अनुशंसाएँ (Recommendations) – प्रस्तुत अध्ययन के आधार पर निम्नलिखित अनुशंसाएँ प्रस्तुत की जाती हैं, जो भारत में कल्याणकारी राज्य की प्रभावशीलता को बढ़ाने तथा सामाजिक न्याय की राजनीति को अधिक समावेशी, पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाने में सहायक हो सकती हैं–

1. सार्वभौमिक एवं समावेशी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का विस्तार, भारत में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का दायरा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, प्रवासी मजदूरों, घरेलू कामगारों तथा गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिकों तक प्रभावी रूप से विस्तारित किया जाना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा को नागरिक अधिकार के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है।

2. शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, मानव विकास को सुदृढ़ करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर सार्वजनिक निवेश को निरंतर बढ़ाया जाना चाहिए। गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक संस्थानों का विस्तार सामाजिक न्याय की आधारशिला है।

3. डिजिटल शासन के बढ़ते महत्व को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों तथा सामाजिक रूप से वंचित समूहों के लिए डिजिटल साक्षरता, इंटरनेट पहुँच एवं डिजिटल अवसंरचना का विस्तार आवश्यक है, जिससे कोई भी पात्र लाभार्थी तकनीकी कारणों से योजनाओं से वंचित न रहे।

4. सभी प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं का स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण, प्रभाव मूल्यांकन तथा तृतीय–पक्ष मूल्यांकन नियमित रूप से कराया जाना चाहिए, जिससे नीतियों की प्रभावशीलता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित हो सके।

5. कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान, संसाधनों के आवंटन तथा निगरानी के लिए अद्यतन सामाजिक–आर्थिक आँकड़ों, भू–स्थानिक सूचना एवं डेटा विश्लेषण का अधिक प्रभावी उपयोग किया जाना चाहिए।

6. प्रत्येक कल्याणकारी योजना में लैंगिक बजटिंग, महिला सुरक्षा, महिला स्वास्थ्य, कौशल विकास, उद्यमिता तथा आर्थिक भागीदारी को नीति निर्माण का अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए।

7. पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय एवं प्रशासनिक रूप से अधिक सशक्त बनाया जाए ताकि स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।

8. सकारात्मक भेदभाव की नीतियों के साथ–साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास, डिजिटल प्रशिक्षण, उद्यमिता एवं नेतृत्व विकास कार्यक्रमों का विस्तार किया जाना चाहिए, जिससे दीर्घकालिक सामाजिक सशक्तिकरण संभव हो।

9. नीति निर्माण में आर्थिक विकास तथा सामाजिक समानता को परस्पर पूरक माना जाए। निवेश, रोजगार सृजन एवं औद्योगिक विकास के साथ सामाजिक सुरक्षा एवं पुनर्वितरण की नीतियों का संतुलित समन्वय आवश्यक है।

10. ई–गवर्नेंस, सार्वजनिक सूचना प्रणाली, नागरिक शिकायत निवारण तंत्र, सामाजिक अंकेक्षण तथा जनभागीदारी आधारित निगरानी को सभी प्रमुख कल्याणकारी कार्यक्रमों में अनिवार्य रूप से लागू किया जाना चाहिए।

11. सामाजिक न्याय की राजनीति का उद्देश्य केवल चुनावी प्रतिनिधित्व तक सीमित न होकर संविधान में निहित न्याय, समानता, बंधुत्व, गरिमा एवं समावेशन के मूल्यों को व्यवहारिक रूप देना होना चाहिए।

12. भारत की कल्याणकारी नीतियों को संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों विशेषकर गरीबी उन्मूलन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ जल, असमानताओं में कमी तथा संस्थागत सुदृढ़ीकरण से प्रभावी रूप से जोड़ा जाना चाहिए।

13. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, डिजिटल पहचान, हरित अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन तथा जनसंख्या संरचना में हो रहे परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए भारत को अधिकार–आधारित, प्रौद्योगिकी–सक्षम, सहभागी, पारदर्शी एवं संवेदनशील कल्याणकारी राज्य के मॉडल की दिशा में अग्रसर होना चाहिए।

संदर्भ सूची–

1- Ambedkar, B- R- 1948- States and Minorities- Government of India

2- Ambedkar, B- R- 1949- Constituent Assembly Debates- Government of India

3- Austin, G- 1966- The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation- Oxford University Press

4- Austin, G- 1999- Working a Democratic Constitution- Oxford University Press

5- Beveridge, W- 1942- Social Insurance and Allied Services- HMSO

6- Constitution of India- Latest Edition- Government of India

7- Dreze, J- & Sen, A- 2013- An Uncertain Glory: India and Its Contradictions- Princeton University Press

8- Esping-Andersen, G- ,1990- The Three Worlds of Welfare Capitalism- Princeton University Press

9- Government of India- Economic Survey,Various Years- Ministry of Finance

10- Government of India- Union Budget Documents,Various Years- Ministry of Finance

11- Government of India- National Food Security Act 2013

12- Government of India- Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005

13- Government of India- Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009

14- Jaffrelot C- 2003- India's Silent Revolution- Permanent Black

15- Jayal N- G- 2013- Citizenship and Its Discontents- Harvard University Press

16- Keynes, J- M- 1936- The General Theory of Employment] Interest and Money- Macmillan

17- Kothari, R- 1970- Politics in India- Orient Longman

18- Marshall, T- H- 1950- Citizenship and Social Class- Cambridge University Press

19- NITI Aayog- Various Years- National Multidimensional Poverty Index Reports- Government of India

20- NITI Aayog- Various Years- Strategy for New India @75- Government of India

21- Nussbaum, M- 2000- Women and Human Development- Cambridge University Press

22- Rawls, J- 1971- A Theory of Justice- Harvard University Press

23- Sen, A- 1999- Development as Freedom- Oxford University Press

24- Stiglitz, J- E- 2012- The Price of Inequality- W- W- Norton

25- Titmuss, R- M- 1958- Essays on the Welfare State- Allen & Unwin

26- United Nations Development Programme- Various Years- Human Development Report

27- World Bank- Various Years- World Development Report

28- International Labour Organization- Various Years- World Social Protection Report

29- National Sample Survey Office NSSO- Various Rounds- Reports on Employment and Social Consumption

30- National Statistical Office NSO- Various Years- Statistical Abstract of India

31- Ministry of Rural Development- Various Years- MGNREGA Annual Report- Government of India

32- Ministry of Health and Family Welfare- Various Years- National Health Profile- Government of India

33- Ministry of Education- 2020- National Education Policy 2020- Government of India

34- Planning Commission- 2014- Twelfth Five Year Plan 2012–2017- Government of India

35- Piketty, T- 2014-Capital in the Twenty-First Century- Harvard University Press

36- Rodrik, D- 2011- The Globalization Paradox- W- W- Norton

37- World Health Organization- Various Years- World Health Statistics

38- United Nations- 2015- Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development

39- Baxi, U- 2002- The Future of Human Rights- Oxford University Press